उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1347/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.238-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(295)-2023

लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 15 की उप धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त उप-धारा के अधीन निम्नलिखित पूर्तियों को अधिसूचित करती हैं, अर्थात्:-

(i) ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति;

(ii) ऑनलाइन मनी गेमिंग से भिन्न ऑनलाइन गेमिंग की पूर्ति; और

(iii) कसीनो में अनुयोज्य दावों की पूर्ति

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी ।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव